

भाग III

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 26 मई, 2005

संख्या का० आ० 38/ह० अ० 6/2003/धा० 60/2005.—हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6), की धारा 60 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या तैब 2/ह० अ० 6/2003/धा० 60/2005, दिनांक 2 मई, 2005, के प्रति निर्देश से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा मूल्य वर्धित कर नियम, 2003, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) ये नियम हरियाणा मूल्य वर्धित कर (संशोधन) नियम, 2005, कहे जा सकते हैं;

(2) ये नियम प्रथम मई, 2005, से लागू हुए समझे जाएंगे।

2. हरियाणा मूल्य वर्धित कर नियम, 2003 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम के रूप में निोदिष्ट किया गया है) में, नियम 46 में,

(i) उप-नियम (2) में, "हलवाईयों," शब्द तथा चिह्न का लोप कर दिया जाएगा।

(ii) उप-नियम (4) में,—

(क) "हलवाई" चिह्न तथा शब्द का लोप कर दिया जाएगा।

(ख) अन्त में निम्नलिखित व्याख्या जोड़ दी जाएगी, अर्थात् :—

"व्याख्या.— मास अप्रैल, 2005, के लिए एक मुद्रा 15

15 मई, 2005, तक हलवाई द्वारा-अनुपातिक आधार पर देय होगी।"

3. उक्त नियमों में, नियम 50 का लोप कर दिया जाएगा।

एल० एस० एम० सालिन्स,

वित्तियुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 26th May, 2005

No. S.O. 38/H.A.6/2003/S. 60/2005.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 60 of the Haryana Value Added Tax Act, 2003 (6 of 2003), and with reference to Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. Web. 2/H.A. 6/2003/S. 60/2005, dated the 2nd May, 2005, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Value Added Tax Rules, 2003, namely :—

1. (1) These rules may be called the Haryana Value Added Tax (Amendment) Rules, 2005.

(2) They shall be deemed to have come into force with effect from the 1st day of May, 2005.

2. In the Haryana Value Added Tax Rules, 2003 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 46,—

(i) In sub-rule (2), the word and sign “Halwaii,” shall be omitted;

(ii) in sub-rule (4),—

(a) the sign and word “,Halwaii” shall be omitted;

(b) The following explanation shall be added at the end, namely :—

“Explanation.— The lump sum amount for the month of April, 2005, shall be payable by Halwaii on proportionate basis by 15th May, 2005.”.

3. In the said rules, rule 50 shall be omitted.

L. S. M. SALINS,
Financial Commissioner and Principal
Secretary to Government, Haryana,
Excise and Taxation Department.